जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

इन्द्रा सर्किल,जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर–302004

☎:0141-2563234,2563111
0141-2563112,2563113
फैक्स: 0141-2563614

क्रमांकःजविप्रा/अधि.अभि.(रिंगरोड़–प्रथम)/2018/डी– 59 **दिनांकः 03-4-18**

उपवन संरक्षक (वन्यजीव)
जयपुर।

विषयः– वन मण्डल जयपुर के वन क्षेत्र में कनक वृन्दावन से जयगढ–नाहरगढ किले रोड़ जंक्शन तक रोप–वे निर्माण हेतु फोरेस्ट ब्लॉक आमेर के वन क्षेत्र में 1.51 हैक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रपोजल नम्बर **FP/RJ/Others/26838/2017**)।

संदर्भः– आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक F-14( )2017/FCA/PCCF/EDS-I दिनांक 10.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावित रोपवे निर्माण हेतु फोरेस्ट ब्लॉक आमेर के वन क्षेत्र में 1.51 हैक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए अंकित आक्षेपों का बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	प्रस्ताव के फार्म ए के बिन्दु संख्या A-1(x) में आपके द्वारा 99 वर्ष हेतु अनारक्षण चाहा गया है जबकि इसमें रोपवे अधिनियम में दी गई स्वीकृति की अवधि भरी जानी प्रस्तावित है।	संशोधित कर 35 वर्ष की अवधि प्रस्तावित कर दी गई है।
2	प्रस्ताव के फार्म एक के पार्ट A-1(xvii) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के आदेश की प्रति में स्वयं द्वारा अपने आपको अधिकृत किया गया है। जबकि इसमें अपने से उच्च अधिकारी द्वारा अधिकृत कराया जाकर आदेश की प्रति, जिसमें हस्ताक्षर सत्यापित किया जाना शामिल है, संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर प्रस्ताव को पृष्ठ सं. 9/सी पर संलग्न कर दिये गये है।
3	प्रस्ताव के पार्ट ए के पार्ट 1 B-1 में आपके द्वारा पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत/ प्रक्रियाधीन प्रस्तावों के बारे में सूचना नही दी गई है। जो प्रस्तावित है।	पूर्व में कोई प्रस्ताव स्वीकृत/अस्वीकृत/प्रक्रियाधीन नही है। इसी प्रस्ताव को ही NBWL की Standing Committee ने अपनी 21वीं मीटिंग दिनांक 24.01.2011 को कैफेटेरिया के ऐरिया को हटाते हुए 1.51 हैक्टयर वन भूमि प्रत्यार्वतन की स्वीकृति इस शर्त पर दी थी कि इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दिशा निर्देश प्राप्त करे। दिनांक 21.02.2012 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति देते हुये यह निर्देश दिये कि प्रार्थी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के Section 2 के तहत स्वीकृति प्राप्त करे। इसी की अनुपालना में प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। NBWL की Standing Committee की प्रति पृष्ठ सं. 33/सी से 36/सी पर संलग्न है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय

अधिशाषी अभियन्ता (रिंग रोड)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

		की अनुमति की प्रति पृष्ठ सं. 17/सी से 28/सी पर संलग्न है।
4	प्रस्ताव के पार्ट ए के पार्ट 1 B-2.3 में कम्पोनेंटवार दिये गये विवरण में प्रस्ताव में पर्यटकों की सुविधा हेतु पार्किंग स्थल, रोपवे चलाने हेतु विद्युत लाइन लिए जाने का समावेश नही किया गया है। इन बिन्दुओं का समावेश कर संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे।	संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत है। ऊपर वाले टर्मिनल स्टेशन पर वाहन पार्किग स्थल को दर्शा दिया गया है। जिसमे कम्पनी के वाहन खड़े होगे तथा अगर कोई पर्यटक रोप वे को नीचे जाकर पुनः ऊपर आने के लिये इस्तेमाल करता है तो उसके हल्के वाहन (कार, जीप, टैक्सी इत्यादि) भी प्रस्तावित पार्किग स्थल में पार्क करना प्रस्तावित है। यहाँ यह भी उल्लेखित है कि कनक वृन्दावन के पास जविप्रा की भूमि पर जो Lower Terminal Station प्रस्तावित है वहाँ पर पर्यटक वाहनों के पार्किग की व्यवस्था की गई है। विद्युत लाईन हेतु अण्डर ग्राउण्ड केबल रोप वे के Alignment में आ रही भूमि, जिसका वन भूमि प्रत्यार्वतन प्रस्तावित है, उसी में से ले जायी जाकर Upper Termined Station पर Supply की जावेगी।
5	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 C-b(ii) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न KML file में निम्न सूचना आवश्यक है:– 1.कम्पोनेंट अनुसार पूर्ण KML file दी जानी है। 2.वन भूमि का Ploygon shape में दी जानी है। 3.वन सीमा का सीमांकन किया जाना है।	सभी सूचनाए ऑन लाईन प्रस्ताव में संलग्न कर दी गई है तथा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 150/सी से 155/सी पर संलग्न है।
6	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 C-b(iv) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न DGPS Map में Bad request आने के कारण खुल नही पा रही है DGPS Map में निम्न सूचना दिया जाना आवश्यक है:– 1. कम्पोनेंट अनुसार पूर्ण Total Station Survey map संलग्न किया जाना है। 2. वन भूमि के सभी कानर्स के GPS Corrdinates दिये जाने प्रस्तावित है। 3. वन सीमा/अभयारण्य सीमा अंकित की जानी प्रस्तावित है। 4. शीर्षक तालिका एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सहित संलग्न किया जाना है।	1. डिजिटल मेप प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 149/सी पर संलग्न है। 2. कम्पोनेंट अनुसार पूर्ण Total Station Survey map प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 149/सी पर संलग्न है। 3. वन भूमि के सभी कानर्स के GPS Corrdinates प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 149/सी पर संलग्न है। 4. वन सीमा/अभयारण्य सीमा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 149/सी पर संलग्न है। 5. शीर्षक तालिका एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव के प्रारम्भ में संलग्न है। '
7	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट D में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव की औचित्यता के साथ विभिन्न विकल्पों पर किये गये अध्ययन की विश्लेषण रिपोर्ट मय मानचित्र (KML file, GT Sheet & DGPS map) के संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	बिन्दु संख्या 3 के अनुसार
8	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट E में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत रोजगार सृजन सम्बन्धी सूचना सही नही है सही सूचना अंकित की जानी है।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 4/सी पर संलग्न है। रोपवे के रख रखाव व उसकी सुरक्षा हेतु आदि के लिए कम्पनी के गार्ड्स भी उपस्थित रहेगे।
9	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट G में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किया लागत लाभ प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नही है।	प्रस्ताव 1.51 हैक्टयर का होने के कारण उक्त प्रमाण पत्र के आवश्यकता नही है।

अधिशाषी अभियन्ता (रिंग रोड)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

10	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट H में यूजर ऐजेन्सी द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की प्रति संलग्न नही की गई है। जो प्रस्तावित है।	1.51 हैक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति के पश्चात् ही परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति ली जायेगी क्योंकि पर्यावरण विभाग पर्यावरण स्वीकृति देने से पहले वन भूमि प्रत्यार्वतन की स्वीकृति की प्रति चाहता है।
11	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट K में यूजर ऐजेन्सी द्वारा Forest Right Act 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसमें प्रपत्र linear cases हेतु जारी किया गया है जबकि प्रस्ताव non-linear का है इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय बैठक, उप खण्ड स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण, ग्राम स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	प्रोजेक्ट linear श्रेणी में ही आता है।
12	प्रस्ताव के फार्ग ए के पार्ट C में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन भूमि के बदले गैर वन भूमि के सम्बन्ध में निम्न सूचना दिया जाना प्रस्तावित है। 1. जिला कलेक्टर द्वारा भूमि आवंटन आदेश की प्रति 2. जमाबन्दी एवं राजस्व मेप 3. प्रस्तावित भूमि के अतिक्रमण मुक्त होने एवं सभी विवादों से मुक्त होने का प्रमाण पत्र 4. गैर वन भूमि का KML file (Provided KML 1.61 hac instead of 1.51 hac.) GT Sheet & DGPS/ Total Station Survey Map संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	1. चूँकि भूमि आवंटन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर ही किया जा सकता है। इस लिए जिला कलेक्टर द्वारा भूमि आवंटन की आवश्यकता नही है। जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त जोन–10 द्वारा भूमि आवंटन के आदेश की प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 47 / सी पर संलग्न है। 2. जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शे की प्रतियां प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 95 / सी से 144 / सी पर संलग्न है। 3. सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा प्रदान किया जावेगा। 4. गैर वन भूमि का KML file ऑन लाईन संलग्न कर दी गई है। GT Sheet & DGPS/ Total Station Survey Map प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 149 / सी से 151 / सी पर संलग्न है।
13	यूजर ऐजेन्सी को उपरोक्त सूचनाओं के अतिरिक्त निम्न सूचनाएँ दिया जाना प्रस्तावित है। 1- Area Calculation Sheet including khasra and village for forest and non-forest land 2- Project Report 3- Administrative, Technical and financial sanctions 4- Bar Chart 5- Undertaking for compliance of condition imposed by NBWL & Supreme Court. 6- Undertaking for NPV amount (if increase in rates) 7. प्रस्ताव में मूल प्रति से स्केन करा ऑनलाईन किया जावे एवं समस्त पृष्ठों पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम दिनांक एवं मुहर सहित संलग्न की जावे।	1. एरिया केलकुलेशन शीट प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 49 / सी पर संलग्न है। 2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 50 / सी से 74 / सी पर संलग्न है। 3. प्रोजेक्ट डीबीएफओटी पर दिया गया है। अतः Administrative, Technical and financial sanctions की आवश्यकता नही है। 4. बार चार्ट प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 147 / सी पर संलग्न है। 5. NBWL की Standing Committee की प्रति पृष्ठ सं. 33 / सी से 36 / सी पर संलग्न है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति की प्रति पृष्ठ सं. 17 / सी से 28 / सी पर संलग्न है। 6. Undertaking for NPV amount (if increase in rates) की प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 44 / सी पर

अधिशाषी अभियन्ता (रिंग रोड)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

		संलग्न है। 7. प्रस्ताव में मूल प्रति को स्केन करवाकर ऑनलाईन कर दिया गया है एवं समस्त पृष्ठों पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम दिनांक एवं मुहर सहित संलग्न कर दिया गया है।

अतः आप द्वारा अंकित आक्षेपों के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना प्रस्ताव के साथ ऑनलाइन भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 1.51 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर इसकी स्वीकृति दिलवाने का श्रम करावे।

भवदीय

(अविनाश शर्मा)
अधिशाषी अभियंता (रिंग रोड़-प्रथम)
जविप्रा,जयपुर।

अधिशाषी अभियन्ता (रिंग रोड)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर